छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय

क्रमांक–01..../वि.स./संपदा/2023 रायपुर, दिनांक 16.01..2023

// निविदा आमंत्रण //

विधान सभा सचिवालय परिसर स्थित भवनों एवं आवासीय परिसर में स्थित सामुदायिक भवन की प्रतिमाह की दर पर 02 वर्षों तक साफ–सफाई हेतु अनुभवी प्रतिष्ठित फर्म/एजेंसी से सील बंद प्रस्ताव दिनांक– 16 फरवरी, 2023 को अपरान्ह 3:00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं । प्राप्त प्रस्ताव क्रय समिति के समक्ष खोले जायेंगे। इस दौरान प्रस्ताव देने वाले अथवा उनके द्वारा अधिकृत एक प्रतिनिधि उपस्थित रह सकेंगे ।

प्रस्ताव हेतु प्रपत्र, विस्तृत शर्तों आदि की जानकारी विधान सभा सचिवालय की ''संपदा शाखा'' कक्ष क्रमांक बी–07 से रूपये 1000/– (रूपये एक हजार मात्र) जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं अथवा विधान सभा की वेबसाईट www.cgvidhansabha.gov.in से डाउनलोड भी की जा सकती है , जिसके शुल्क के रूप में रूपये 1000/– (रूपये एक हजार मात्र) विधान सभा सचिवालय की ''लेखा शाखा'' में, निविदा प्रस्ताव जमा करने के पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा ।

किसी भी अथवा समस्त निविदाओं को अमान्य करने का सर्वाधिकार सचिव, विधान सभा को होगा ।

अपर सचिव,
छत्तीसगढ़ विधानसभा

साफ–सफाई

छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय

निविदा प्रपत्र

विधानसभा भवन/परिसर की सफाई का कार्य

निविदा प्रपत्र का मूल्य : 1,000/– (रूपये एक हजार मात्र)
धरोहर राशि : 2,00,000/– (रूपये दो लाख मात्र)

1. तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव दो पृथक–पृथक सील बंद लिफाफों में प्रस्तुत करना होगा ।

2. तकनीकी प्रस्तावों के साथ तकनीकी प्रस्तावों का निविदा प्रपत्र संबंधी दस्तावेज एवं निविदा की शर्तें संलग्न की जानी है ।

3. तकनीकी प्रस्ताव पूर्ण पाए जाने वाले निविदाकारों के ही वित्तीय प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

4. तकनीकी प्रस्ताव में पूर्ण वांछित जानकारी नहीं दिये जाने अथवा केवल आधी–अधूरी जानकारी दिये जाने, शर्तें सम्मिलित करने, अस्पष्ट जानकारी दिये जाने पर निविदाकार को पृथक कर दिया जाएगा तथा उनके वित्तीय प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा ।

5. वित्तीय प्रस्ताव में राशि अंको व शब्दों में स्पष्ट रूप से अंकित करनी होगी जिसमें सभी प्रकार के कर शुल्क आदि सम्मिलित होना चाहिए ।

अपर सचिव,
छत्तीसगढ़ विधानसभा

छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय

(भाग–एक)

निविदा प्रपत्र
साफ–सफाई कार्य हेतु तकनीकी प्रस्ताव

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम : ....
....

2. स्थाई पता : ....
....

3. पत्र व्यवहार का पता : ....
....

4. टेलीफोन नम्बर : .... एस.टी.डी. कोड ....ईमेल एड्रेस..............................
मोबाईल नम्बर : ....

5. धरोहर राशि रूपये 2,00,000/– एफ.डी. का विवरण
नम्बर : .... दिनांक..............................
बैंक का नाम एवं पता : ....

6. (अ) पूर्व अनुभव का विवरण (संस्था द्वारा अवधि एवं कार्य संतुष्टि प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक है अधूरी जानकारी प्रस्तुत करने वाले निविदाकारों के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा)

क्रमांक	संस्था का नाम	अवधि	राशि	कार्य विवरण	कार्य छोडने का कारण	कार्य समयावधि पूर्ण होने पर या पहले छोड़ा गया

(ब) वर्तमान में कहां—कहां कितनी अवधि से कार्य कर रहे हैं व कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ?

क्रमांक	संस्था का नाम	कार्य प्रारंभ करने का दिनांक एवं अवधि	कर्मचारियों की संख्या

7. साफ—सफाई कार्य में प्रयुक्त किये जाने वाले यंत्रों का विवरण

क्रमांक	नाम यंत्र का मेक एवं निर्माण वर्ष	यंत्र का कार्य	संख्या

मैंने/ हमने निविदा में दी गई समस्त शर्तें पढ़ ली हैं, मुझे/हमें समस्त शर्तें स्वीकार हैं । निविदा की शर्तों के अनुसार समस्त आवश्यक प्रमाण—पत्र एवं दस्तावेज संलग्न किये गए हैं । प्रमाण स्वरूप मैंने/हमने निविदा की शर्तों पर हस्ताक्षर कर दिये हैं ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय

निविदा प्रपत्र (भाग–दो)

साफ–सफाई कार्य संबंधी वित्तीय प्रस्ताव
(दो वर्ष हेतु)

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम : ....
....

2. स्थाई पता : ....
....

3. रायपुर में कम्पनी का पूरा पता व कार्यालय कब से स्थापित है संबंधी जानाकरी (मय प्रमाण के) :
....
....

4. टेलीफोन नम्बर : .... एस.टी.डी. कोड ....ईमेल एड्रेस,..............................
मोबाईल नम्बर : ....

5 श्रमिकों का वेतन समस्त भत्तों सहित प्रतिमाह ....
उपकरणों/मशीनों का शुल्क प्रतिमाह कर सहित ....
जी.एस.टी. प्रतिमाह ....
कार्य हेतु सामग्री की राशि प्रतिमाह ....
अन्य शुल्क प्रतिमाह ....
लाभांश प्रतिमाह ....

6. सम्पूर्ण विधानसभा परिसर/कक्षों की साफ–सफाई राशि प्रतिमाह समस्त कर सहित (बिन्दु 05 का योग)
अंको में रूपये,..............................
शब्दों में रूपये,..............................

7. अन्य अभियुक्ति ....
....

नोट : नोट : मशीनों के देयक निविदा के साथ पृथक लिफाफे में प्रस्तुत करने होंगे।
श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम वेतन 06 माह में परिवर्तन होने पर नियोक्ता को परिवर्तित न्यूनतम वेतन, ईपीएफ एवं ईएसआईसी तथा बोनस बढ़े दर से देना अनिवार्य है, परन्तु अनुबंध लागत में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

मैंने/ हमने निविदा में दी गई समस्त शर्तें पढ़ ली हैं , मुझे/हमें समस्त शर्तें स्वीकार हैं । प्रमाण स्वरूप मैंने/हमने निविदा की शर्तों पर हस्ताक्षर कर दिये हैं ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

— : निविदा की शर्तें / जानकारी :—

01. निविदा के साथ वित्तीय वर्ष 2019—20, 2020—21 एवं 2021—22 के आयकर गणना प्रपत्र की छाया प्रति संलग्न करनी होगी ।

02 वस्तु एवं सेवा कर संबंधी पंजीयन की छाया प्रति के साथ विगत 05 वर्षों की 3बी की प्रति संलग्न प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

03 संस्था का छत्तीसगढ़ राज्य के श्रम विभाग में 10 वर्ष पूर्व का पंजीयन होना अनिवार्य है ।
साथ ही विगत 10 वर्ष पुराना कम से कम 200 कर्मचारी कार्यरत हों उसका लेबर लाईसेंस प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

04 संस्था का कर्मचारी भविष्य निधि पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति निविदा के साथ संलग्न करनी होगी । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम के विगत 05 वर्षों (माह मार्च, 2022 तक) के 200 कर्मचारियों की अंशदान के चालान की छाया प्रति भी संलग्न करनी होगी ।

05 निविदाकर्ता संस्था को ISO (International organization for Standardization), EMS (Environmental Management Systems) OHSAS (Occupational Health & Safety Ad visory Services) 04 वर्षों से जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा ।

06. प्रत्येक माह सफाई कार्य के देयक के साथ सफाई कर्मी की भविष्य निधि/कर्मचारी राज्य बीमा निगम आदि की राशि जमा पर्ची (पीडीएफ) संलग्न करनी होगी, अन्यथा भुगतान हेतु प्रस्तुत देयक मान्य नहीं होगा ।

07. सफाई कार्य में संलग्न कर्मियों को शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जावेगा, तत्संबंधी प्रमाण पत्र (वेतन हस्तातंरण दस्तावेज) प्रस्तुत करना होगा । अनुबंध अवधि में हुई वेतन वृद्धि की स्थिति में सचिवालय द्वारा कोई भी अतिरिक्त राशि का भुगतान ठेकेदार को नहीं किया जावेगा ।

08. किसी प्रतिष्ठित कार्यालय/संस्थान में समान क्षमता का कम से कम 05 वर्ष साफ—सफाई कार्य का अनुभव का प्रमाण—पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा ।

09. निविदा के साथ अमानत राशि के रूप में रूपये 2,00,000/—(अक्षरी रूपये दो लाख मात्र) की एफ0डी0 सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा, रायपुर के नाम से देय संलग्न करना होगा । सफल निविदाकर्ता संस्था की अनुबंध अवधि समाप्त होने के पश्चात् अमानत राशि (एफ0डी0) वापस की जावेगी । शेष निविदाकारों की अमानत (एफ0डी0) सफल निविदाकार से अनुबंध सम्पन्न होने के पश्चात् वापस की जावेगी ।

10. साफ—सफाई का अनुबंध दो वर्षों के लिये होगा, दो वर्ष पश्चात् आपसी सहमति उपरान्त अनुबंध अवधि में वृद्धि की जा सकती है, जिसके लिये अधिकतम 5 प्रतिशत राशि की वृद्धि मान्य होगी ।

11. अन्तःसत्रकाल में कम से कम 30 सफाई कर्मी एवं 02 सुपरवाईजर तथा सत्रकाल में प्रतिदिन 06 सफाई कर्मी अतिरिक्त रखना आवश्यक होगा ।

12. विधानसभा सचिवालय तथा परिसर स्थित नवीन पुस्तकालय भवन सहित लोक निर्माण विभाग कार्यालय भवन, चिकित्सालय (आयुर्वेदिक, होम्योपेथिक एवं एलोपैथिक), डाक घर, बैंक, रेल्वे रिजर्वेशन काउन्टर, उद्यान विभाग एवं पंचकर्म चिकित्सा के कार्यालयों / कक्षों की नियमित रूप से सफाई अनिवार्यतः करने के लिये कार्य क्षेत्रफल का अवलोकन हेतु संपदा शाखा से कार्यालयीन दिवस एवं समय पर संपर्क किया जा सकता है ।

13. सम्पूर्ण विधानसभा परिसर स्थित कक्षों के साथ ही खेल—प्रशाल, ऑडिटोरियम, मान0 मंत्रियों हेतु निर्मित भवन एवं आवासीय परिसर स्थित कम्युनिटी हॉल में प्रतिदिन साफ—सफाई किया जाना अनिवार्य है ।

14. ठेकेदार को विधानसभा भवन एवं विधानसभा परिसर में स्थित सभी भवनों के कक्ष, बरामदे, छत, आंगन, शौचालयों, रेलिंग, गलियारों, सीढ़ियों, समस्त खुले परिसर सहित की साफ—सफाई करना होगा तथा दरवाजे, खिडकियों से धूल—जाले तथा पान—तम्बाखू के दाग भी हटाना होगा ।

15. सभा भवन , लॉबी एवं विभिन्न कक्षों में लगे कारपेट की सफाई विशिष्ट उपकरण से एवं उपयुक्त रसायन (केमिकल) से की जानी होगी ।

16. शौचालयों की सफाई में उत्तमगुणवत्ता के फिनाईल, लिक्विड सोप, फिनाईल गोलियाँ, ऑडोनिल , रूम/टॉयलेट फ्रेशनर, टॉयलेट पेपर रोल के प्रयोग के साथ हारपिक जैसे लिक्विड के प्रयोग से किया जाना होगा, शौचालयों की सफाई प्रति घंटे के अंतराल में करनी होगी । समस्त सामग्री का स्टॉक भी निरन्तर रखना होगा ।

17. प्रतिदिन साफ–सफाई संबंधी कार्य में यथा झाड़ू, पोछा, फिनाईल, सर्फ–सोडा, लिक्विड हेंड वॉश, शेम्पू, डस्ट पेन, डस्ट बीन, रूम फ्रेशनर, जाला झाड़ू, पेपर नेपकिन, टॉयलेट क्युब, बाथरूम फ्रेशनर आदि सामग्री उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए ।

18. साफ–सफाई कार्य हेतु **परिशिष्ठ–''क''** अनुसार प्रतिमाह न्यूनतम सामग्री का उपयोग करना होगा तथा अतिरिक्त सामग्री लगने पर निविदाकार को स्वयं के व्यय से व्यवस्था करनी होगी । सामग्री की स्टॉक पंजी भी व्यवस्थित रखनी होगी ।

19. डस्टबीन की सफाई कर, कचरा हटाकर परिसर में नियत स्थान पर ले जाकर डालना होगा ।

20. महिला शौचालयों की सफाई हेतु महिला सफाई कर्मी रखना अनिवार्य होगा ।

21. जहां–जहां साफ – सफाई के साथ पोछा एवं धुलाई की आवश्यकता होगी, वह भी करना होगा साथ ही प्रतिदिन फर्श, सीढियों, रेम्प (टाइल्स, मार्बल व कोटा स्टोन) की सफाई करनी होगी ।

22. सभी फर्नीचरों, दरवाजों , खिडकियों की तथा कांच/ग्रिल की रोजाना सफाई की जोयगी ।

23. मशीनों का उपयोग मार्बल/कोटा स्टोन, टाइल्स तथा फर्श आदि के लिए किया जा सकेगा ।

24. आवश्यकतानुसार सचिवालय के विभिन्न स्थानों में फ्युमिगेशन प्रामाणिक रसायन से करना होगा।

25. संस्था द्वारा न्यूनतम 02 नग सिंगल डिस्क स्क्रबर, 02 नग वेक्युम क्लीनर, 01 नग फ्युमिगेशन मशीन, 01 स्प्रे मशीन (बैटरी ऑपरेटेड), 01 नग हाई प्रेशन बॉटर जेट मशीन सफाई कार्य में संलग्न करनी होगी । इसके अतिरिक्त अन्य कोई मशीन जिससे कार्यगुणवत्ता बढ़ती हो तो उसका पृथक से उल्लेख निविदा प्रस्ताव में किया जा सकता है । मशीनों को परिसर से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी ।

26. यूनीफार्म एवं आई.डी. युक्त सफाई कर्मियों को अनुशासन में रहकर कार्य करना होगा तथा कक्षों में रखे अभिलेख एवं उपकरणों से छेडछाड़ नहीं करना होगा यदि किसी अभिलेखों या उपकरणों को क्षति पहुंचाना पाया गया तो होने वाली हानि की सम्पूर्ण वसूली ठेकेदार से की जायेगी । सफाई कर्मियों के संदिग्ध अवस्था में पाए जाने, विधानसभा कर्मियों से दुर्व्यवहार करने, एवं ठीक से काम नहीं करने पर उसे विधानसभा के साफ –सफाई कार्य से अविलंब हटा दिया जावेगा ।

27. विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा भवन एवं परिसर की साफ–सफाई का कार्य सुबह 8:30 बजे से पूर्व करना अनिवार्य होगा, तथा उसे सतत जारी रखनी होगी । सत्रकाल में सदन की बैठक समाप्ति तक एवं आवश्यकतानुसार रात्रि में भी उपस्थित रहना होगा । अन्तः सत्रकाल में सफाई कर्मचारी नियमित रूप से प्रातः 8:30 से संध्या 5:30 तक उपस्थित रहेंगे ।

28. विधानसभा भवन की उचित साफ–सफाई न होने या निरीक्षण में लापरवाही एवं अनियमितता पाये जाने की स्थिति में रूपये 4,000/– (रूपये चार हजार) तक प्रतिदिन शास्ति (पेनाल्टी) अधिरोपित करते हुए मासिक देयक से कटौती की जावेगी ।

29. सफाई की पर्याप्त सामग्री की व्यवस्था निविदाकार फर्म द्वारा ही की जावेगी तथा सचिवालय की ''संपदा शाखा'' की देख–रेख में उसका उपयोग किया जावेगा, आवश्यकता पड़ने पर इसकी गुणवत्ता की जांच सचिवालय या अन्य संस्था के अधिकृत अधिकारी द्वारा की जावेगी ।

30. अनुबंधकर्ता नियत अवधि तक कार्य नहीं छोड़ सकेगा और यदि बीच में कार्य छोड़ा गया तो नवीन ठेके से होने वाली क्षति की वसूली की जावेगी ।

31. निविदाकर्ता द्वारा निविदा, निर्धारित तिथि एवं समय पर सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, विधान नगर, रायपुर को संबोधित करते हुए सम्पदा शाखा में प्रस्तुत करनी होगी ।

32. अमानत राशि के रूप में जमा राशि ठेके की शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में राजसात की जा सकेगी ।

33. सफल संस्था को कार्यादेश जारी होने के 15 दिवस के अन्दर अनुबंध संपादित कर कार्य प्रारंभ करना होगा ।

34. निविदा को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का सर्वाधिकार सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा को होगा ।

35. ठेके की अवधि में उत्पन्न होने वाले किसी विवाद पर निर्णय करने का संपूर्ण अधिकार अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा, रायपुर को होगा तथा उनका निर्णय बंधनकारी होगा ।

उपरोक्त शर्तों की सहमति
में निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

परिशिष्ट– ''क''

विधानसभा में प्रतिमाह उपयोग किये जाने वाली न्यूनतम सामग्री

क्र	सामग्री का विवरण	मात्रा
01	टास्की आर–2 (फ्लोर क्लीनर) अथवा समकक्ष	07 लीटर
02	टास्की आर–3 (ग्लास क्लीनर) अथवा समकक्ष	07 लीटर
03	टास्की आर–5 (एयर फ्रेशनर) अथवा समकक्ष	07 लीटर
04	टास्की आर–6 (फ्लोर क्लीनर) अथवा समकक्ष	07 लीटर
05	सॉफ्टकेयर स्टार (हैंड वॉश) अथवा समकक्ष	25 लीटर
06	फिनाईल	25 लीटर
07	डामर गोली	05 किलोग्राम
08	ओडो निल	60 नग
09	सॉफ्ट ब्रूम	20 नग
10	हार्ड ब्रूम	15 नग
12	एयर फ्रेशनर (प्रीमियम/गोदरेज/ओडोनिल के समकक्ष)	20 नग
13	डिटर्जेंट	25 किलोग्राम
14	युरीनल पैड स्क्रीन	15 नग
15	एसिड	12 लीटर
16	पेपर नेपकिन (एम फोल्ड)	15 पैकेट
17	बेसिल्लोसिड (फ्युमिगेशन हेतु)	1.5 लीटर
18	वेट मॉप सेट	08 सेट
19	ड्राई मॉप सेट	08 सेट
20	सामान्य डस्टर	30 नग
21	वाईपर 19''	03 नग
22	सुपली	04 नग
23	बाल्टी	03 नग
24	मग	03 नग
25	टॉयलेट ब्रश	03 नग
26	स्प्रे बॉटल	08 नग
27	लिक्वीड सोफ डिस्पेंसर (225 एम.एल.)	08 नग

– क्रमांक 1 से 17 तक प्रतिमाह उपयोग होगी

– क्रमांक 18 से 27 तक कार्य प्रारंभ करते समय आवश्यकतानुसार पश्चात् आगामी माह से उपरोक्त दर्शित मात्रा अनुसार प्रतिमाह लगानी होगी ।

– आवश्यकता पड़ने पर उपरोक्त न्यूनतम दर्शित मात्रा के अतिरिक्त समाग्री का उपयोग भी करना होगा, जिस हेतु अतिरिक्त भुगतान पृथक से कदापि नहीं किया जावेगा ।